कार्यालय जिला खनिज संस्थान न्यास निधि

जिला – उत्तर बस्तर कांकेर (छत्तीसगढ़)

Phone. No. 07868-241222, Fax. No. 07868-241801 **E-Mail Id- dmkanker.steno@gmail.com**

-: प्रेस विज्ञप्ति :-

क्रमांक / 5612 /कले./**DMF**/2023–24 कांकेर, दिनांक 16/08/2023

कार्यालयीन विज्ञापन कमांक/10050/कले./डीएमएफ/2021–22 कांकेर दिनांक 22.12.2021 के द्वारा **जिला खनिज संस्थान न्यास निधि** अंतर्गत स्वीकृत संविदा पद **विकास सहायक–01, लेखापाल–01, सहायक ग्रेड 03–02 एवं भृत्य–01 पद** की संविदा भर्ती किये जाने विज्ञापन प्रकाशन किया गया है। जिसे अपरिहार्य कारणों से निरस्त किया जाता है।

(कलेक्टर महो. द्वारा अनुमोदित)

मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं पदेन सचिव
जिला खनिज संस्थान न्यास निधि
उत्तर बस्तर कांकेर

पृ. क्रमांक / 5613 /कले./**DMF**/2023–24 कांकेर, दिनांक 16/8/2023

प्रतिलिपि :-

01. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर को सादर सूचनार्थ।
02. संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, इन्द्रावती भवन, प्रथम एवं द्वितीय तल, नवा रायपुर को सादर सूचनार्थ।
03. कलेक्टर महो. जिला उत्तर बस्तर कांकेर को सादर सूचनार्थ।
04. जिला खनिज अधिकारी, जिला उत्तर बस्तर कांकेर को सूचनार्थ।
05. जिला जनसंपर्क अधिकारी, जिला उत्तर बस्तर कांकेर को निःशुल्क समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु सूचनार्थ।
06. जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, जिला उत्तर बस्तर कांकेर को जिले की वेबसाईट में अपलोड़ किये जाने हेतु सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं पदेन सचिव
जिला खनिज संस्थान न्यास निधि
उत्तर बस्तर कांकेर

4	भृत्य	01	संविदा	11360/-	अनारक्षित (मुक्त-1)	21 वर्ष	35 वर्ष	1. मान्यता प्राप्त संस्था से कक्षा 8 वीं में न्यूनतम 50 प्रतिशत प्राप्तांक के साथ उत्तीर्ण।

पद क्रमांक-1 विकास सहायक –

1. **चयन प्रक्रिया :-** कलेक्टर सह अध्यक्ष प्रबंधकारिणी समिति द्वारा गठित समिति के द्वारा चयनित एवं शासी परिषद् द्वारा अनुमोदित।

2- न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंको का Weightage देते हुए 60 अंक और साक्षात्कार 20 अंक एवं शासकीय/अर्द्धशासकीय किसी परियोजना में प्रबंधन कार्य का अनुभव को प्राथमिकता दी जावेगी, अनुभव पर अधिकतम 20 अंक (प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए 04 अंक)

3. अनुभव की अर्हता पूरी नहीं करने की स्थिति में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार चयन समिति का होगा।

4. विकास सहायक पद हेतु छ.ग. के मूल निवासी होना अनिवार्य है। इस संबंध में स्थायी निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

पद क्रमांक- 2 लेखापाल –

1. **चयन प्रक्रिया :-** कलेक्टर सह अध्यक्ष प्रबंधकारिणी समिति द्वारा गठित समिति के द्वारा चयनित एवं शासी परिषद् द्वारा अनुमोदित।
2. न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता में प्राप्त प्रतिशत् पर 100 अंको का Weightage देते हुए 60 अंक और कम्प्यूटर व प्रायोगिक परीक्षा 30 अंक, शासकीय/अर्द्धशासकीय विकास योजनाओं में कम से कम समान वेतनमान पर कार्यानुभव में अधिकतम 10 अंक (प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए 02 अंक) के आधार पर मेरिट सूची तैयार किया जावेगा।
3. लेखापाल पद हेतु छ.ग. के मूल निवासी होना अनिवार्य है। इस संबंध में स्थायी निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
4. 05 वर्ष लेखा सेवा कार्य का अनुभव एवं लेखा परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य। (प्रतिनियुक्ति/सेवानिवृत्त) अभ्यर्थी के लिए।
5. पदों की संख्या के 10 गुना अभ्यर्थियों को मेरिट सूची अनुसार कौशल परीक्षा हेतु आमंत्रित किया जावेगा।
6. चयनित अभ्यर्थी के साथ 05 अभ्यर्थियों की प्रतीक्षा सूची जारी की जावेगी जो 01 वर्ष के लिए वैध होगी।
7. किसी भी शासकीय/अर्द्धशासकीय सेवा में कदाचरण के आरोप में हटाए गये, ब्लैक लिस्टेड अथवा कार्य सक्षमता पूर्वक नहीं करने के कारण सेवावृद्धि नहीं किये गये व्यक्ति/अभ्यर्थी चयन के पात्र नहीं होंगे।

पद क्रमांक – 03, सहायक ग्रेड – 03

01. **चयन प्रक्रिया** – कलेक्टर सह अध्यक्ष प्रबंधकारिणी समिति द्वारा गठित समिति के द्वारा चयनित एवं शासी परिषद् द्वारा अनुमोदित।

02. न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंकों का Weightage देते हुए 50 अंक और कम्प्यूटर व कौशल परीक्षा 35 अंक एवं शासकीय/अर्द्धशासकीय कार्यालय में कम से कम समान वेतनमान समान पद पर कार्यानुभव में अधिकतम 15 अंक (प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए 03 अंक) के आधार पर मेरिट सूची तैयार किया जावेगा।

03. सहायक ग्रेड-03 पद हेतु छ.ग. के मूल निवासी होना अनिवार्य है। इस संबंध में स्थायी निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

04. पदों की संख्या के 10 गुना अभ्यर्थियों को मेरिट सूची अनुसार कौशल परीक्षा हेतु आमंत्रित किया जावेगा।

05. चयनित अभ्यर्थी के साथ 05 अभ्यर्थियों की प्रतीक्षा सूची जारी की जावेगी जो 01 वर्ष के लिए वैध होगी।

06. किसी भी शासकीय/अर्द्धशासकीय सेवा में कदाचरण के आरोप में हटाए गये, ब्लैक लिस्टेड अथवा कार्य सक्षमता पूर्वक नहीं करने के कारण सेवावृद्धि नहीं किये गये व्यक्ति/अभ्यर्थी चयन के पात्र नहीं होगें।

15. अपूर्ण, अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्रों के संबंध में उम्मीद्वारों को कोई सूचना नहीं दी जावेगी। प्रत्येक आवेदक को चाहिए कि विज्ञापन में दिये गये निर्देशों तथा आवेदन पत्र में सभी जानकारी देखकर एवं सावधानी पूर्वक सही एवं पूर्ण भरे। यदि आवेदन पत्र में कोई जानकारी अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण दी जाती है तो उसकी जिम्मेदारी आवेदक की होगी। त्रुटि अथवा अपूर्णता के आधार पर आवेदक को बिना पूर्व सूचना दिये आवेदन पत्र चयन के किसी भी स्तर पर निरस्त किया जा सकेगा।

16. आवेदन के साथ शैक्षणिक अर्हता अनुसार समस्त दस्तावेजों की छायाप्रति स्वयं प्रमाणित कर प्रस्तुत करना होगा।

17. प्रशासनिक कारणों से अधिसूचित रिक्तियों में बदलाव, घटाया-बढ़ाया जा सकता है या निरस्त भी किया जा सकता है।

18. शासन के भर्ती नियम में किसी प्रकार का परिवर्तन किया जाता है या निर्देश जारी किया जाता है, तो इस विज्ञप्ति में लागू होगा।

19. उक्त भर्ती में माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के एस.एल.पी.(सी.) क्रमांक 19668/2022 के अंतिम आदेश के अध्यधीन होगी।

20. राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी मानदेय/वेतन भुगतान संबंधी आदेश/निर्देश लागू होगा।

21. भर्ती प्रक्रिया के दौरान किसी भी विवाद अथवा समस्या पर अंतिम निर्णय लिये जाने का अधिकार कलेक्टर एवं अध्यक्ष, जिला खनिज संस्थान न्यास निधि, कांकेर के पास सुरक्षित रहेगा।

22. चयन उपरांत यदि कोई जानकारी असत्य पाई जाती है तो की गई नियुक्ति समाप्त कर दी जावेगी, साथ ही संबंधित के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।

23. आवेदन पत्र में अपूर्ण आवेदन, आवेदक के हस्ताक्षर अथवा स्वप्रमाणित पासपोर्ट फोटो नहीं होने पर आवेदन अमान्य/अपात्र किया जावेगा। इस संबंध में कोई भी दावा आपत्ति मान्य नहीं किया जावेगा।

24. यदि प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या अधिक होती है तो उच्चतर योग्यता के आधार पर बुलाये जाने वाले उम्मीद्वारों की संख्या सिमित करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता का होगा।

25. संविदा नियुक्ति सामान्यतः 01 वर्ष के लिए होगी। विभाग की आवश्यकता के आधार पर एवं संविदा नियुक्ति व्यक्ति की उपयुक्तता का आंकलन कर संविदा अवधि बढ़ाने का निर्णय लिया जावेगा। छत्तीसगढ़ संविदा नियुक्ति नियम/प्रावधानों के अनुरूप किया जावेगा।

(कलेक्टर महो. द्वारा अनुमोदित)

मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं पदेन सचिव
जिला खनिज संस्थान न्यास निधि
उत्तर बस्तर कांकेर

क्रमांक/5619/कले./डीएमएटी/भर्ती/2023-24 कांकेर, दिनांक 16/8/2023

प्रतिलिपि :-

01. संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, द्वितीय तल, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर को सादर सूचनार्थ।
02. कलेक्टर महो. जिला उत्तर बस्तर कांकेर को सादर सूचनार्थ।
03. नोडल अधिकारी, जिला खनिज संस्थान न्यास निधि, कांकेर को सूचनार्थ।
04. जिला खनिज अधिकारी, जिला उत्तर बस्तर कांकेर को सूचनार्थ।
05. जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, कांकेर को सूचनार्थ एवं जिले की वेबसाईट में अपलोड़ करने हेतु।
06. जिला जनसंपर्क अधिकारी, कांकेर को निःशुल्क समाचार पत्र में प्रकाशन करने हेतु सूचनार्थ।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं पदेन सचिव
जिला खनिज संस्थान न्यास निधि
उत्तर बस्तर कांकेर

14. यदि विवाहित है, तो विवाह की तिथि :- ....

15. जीवित बच्चों की संख्या एवं जन्म तिथि :- ....

शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता :-

क्र.	परीक्षा का नाम	बोर्ड/वि.वि. का नाम	विषय	उत्तीर्ण वर्ष	प्राप्तांक/पूर्णांक	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
3						
4						
5						
6						

16. क्या आवेदक शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्थान में :- ....
सेवारत है? हां/नहीं (यदि हां, तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करें)

17. क्या आवेदक/आवेदिका के विरूद्ध कोई दाण्डिक :- ....
प्रकरण किसी पुलिस थाने/न्यायालय में अनुसंधान/विचारण हेतु लंबित है, अथवा किसी न्यायालय में निराकृत हो चुका है? हां, तो संबंधित अधिनियम एवं धारा सहित प्रकरण कमांक एवं निर्णय आदि की जानकारी स्पष्ट उल्लेख करें।

18. संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची –

1. .... 2. ....
3. .... 4. ....
5. .... 6. ....
7. .... 8. ....
9. .... 10. ....
11. .... 12. ....

आवेदक का हस्ताक्षर

–: घोषणा पत्र :–

मैं एतत् द्वारा घोषणा करता हूं कि इस प्रपत्र में दिये गये समस्त विवरण एवं संलग्न अभिलेख मेरी व्यक्तिगत जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य है और यदि असत्य पायी जाती है, तो मेरी उम्मीदवारी/नियुक्ति निरस्त किये जाने योग्य होगी और मेरे विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी।

दिनांक :– ....   **आवेदक का हस्ताक्षर**

स्थान :– ....